रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 22 नवम्बर, 1986/1 अग्रहायण, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 24 अक्तूबर, 1986

सं० डी०एल०आर०-9/86.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक-उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त

2285-राजपत्र/86-22-11-86—1,224 मूल्य: 20 पैसे।

शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश आर्मड बैन्ड (अरैस्ट एण्ड डिटैन्शन) एक्ट, 1969" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं । यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा और भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा ।

हिमाचल प्रदेश सशस्त्र दल (गिरफ्तारी और निरोध) अधिनियम, 1969
(1971 का 1)

सशस्त्र दल के सदस्यों की गिरफ्तारी और दण्ड का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सशस्त्र दल (गिरफ्तारी और निरोध) अधिनियम, 1969 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी तारीख या तारीखों को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त निर्दिष्ट करें।

परिभाषाएं

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "आयुद्ध" का वही अर्थ है जो उसे भारतीय आयुद्ध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में दिया गया है और शस्त्र के रूप में प्रयोग करने योग्य कोई शस्त्र या वस्तु इसके अन्तर्गत है जिसे यदि प्रयुक्त किया जाए, तो घोर उपहति या मृत्यु होना सम्भाव्य हो, किन्तु अनुज्ञप्त आयुद्ध या ऐसे आयुद्ध जिनके लिए उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं है, इसके अन्तर्गत नहीं हैं;

(ख) "सशस्त्र दल" से पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव या समूह अभिप्रेत है जिनमें से सभी या किन्हीं के पास आयुद्ध हो:

परन्तु कोई लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक के दल में अपने कर्तव्यों के अनुसरण में कोई आयुद्ध रखता है सशस्त्र दल का सदस्य नहीं माना जायेगा।

(ग) "संहिता" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) अभिप्रेत है,

(घ) "निरोध शिविर" से इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के निरोध के लिए राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई शिविर अभिप्रेत है;

(ङ) "घोर उपहति" का वही अर्थ है जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 320 में उसका है;

(च) "लोक सेवक" का वही अर्थ है जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 में उसका है;

(छ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो संहिता में क्रमशः उनके हैं।

सशस्त्र दलों के सदस्यों

3. (1) कोई मैजिस्ट्रेट और कोई पुलिस अधिकारी जो थाना अधिकारी के पद से नीचे की पंक्ति का न हो, सशस्त्र दल के किसी सदस्य को वारण्ट के बिना गिरफ्तार

को गिरफ्तार करने की शक्ति।

कर सकेगा, और यदि गिरफ्तारी में प्रतिरोध किया जाता है, तो ऐसी गिरफ्तारी के लिए उस पर गोली चला सकेगा या अन्यथा मृत्यु कारित करने पयन्त बल प्रयोग कर सकेगा।

(2) संहिता की धारा 41 से 53 में अधिकथित प्रक्रिया, यथाशक्य, उप-धारा (1) के अधीन की गई गिरफ्तारियों को लागू होगी।

गिरफ्तारी के पश्चात् प्रक्रिया।

4. (1) गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, सुविधानुसार सम्पूर्ण शीघ्रता से गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम निरोध-शिविर के प्रभारी अधिकारी के पास ले जायेगा या भेजेगा।

(2) निरोध शिविर का प्रभारी अधिकारी विचारण के लम्बित रहने तक, गिरफ्तार व्यक्ति को एक मास से अनधिक अवधि के लिए निरोध में रख सकेगा।

निरोध शिविर स्थापित करने की शक्ति।

5. (1) राज्य सरकार, और राज्य सरकार के प्राधिकार से जिला मैजिस्ट्रेट, अपनी अधिकारिता में निरोध शिविर, स्थापित कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे शिविरों का गठन विहित कर सकेगी और अनुरक्षण, अनुशासन और अपराधों और अनुशासन भंग करने के लिए दण्ड, के बारे में शर्तें अवधारित कर सकेगी जो ऐसे शिविरों में अभिरक्षा में रखे व्यक्तियों को लागू होंगी।

अपराध और शास्तियां।

6. (1) जो कोई भी व्यक्ति सशस्त्र दल का सदस्य है, सक्षम दाण्डिक न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई भी व्यक्ति सशस्त्र दल का सदस्य होते हुए, सम्यक्तः प्राधिकृत अधिकारी के आदेश द्वारा या उसके अधीन, अपनी गिरफ्तारी का प्रतिरोध करता है, वह सक्षम दांण्डिक न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

प्रक्रिया

7. संहिता में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने वाला कोई मैजिस्ट्रेट, यदि उचित समझे, तो संहिता के अध्याय 22 में विहित प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे किसी अपराध का संक्षेपतः विचारण कर सकेगा।

अधिनियम के अधीन अपराध का अजमानतीय होना।

8. संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध अजमानतीय होगा।

जमानत के बारे में विशेष उपबन्ध।

9. संहिता में अन्तर्विष्ट बात के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा दण्डनीय बनाए गए अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, तब तक जमानत या बन्धपत्र पर छोड़ा नहीं जायेगा, जब तक कि—

(क) इस प्रकार छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने के लिए अभियोजन पक्ष को अवसर प्रदान न कर दिया गया हो;

(ख) और जहां अभियोजन पक्ष आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय का समाधान हो गया है कि वह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है।

अधिकारिता का विवर्जित होना।

10. किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन या धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्रवाई के सम्बन्ध में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा कोई अभियोजन, वाद या विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

अन्य दण्ड विधियों का प्रवर्तन विवर्जित न होना।

11. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है, किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति को अभियोजित किए जाने से निवारित करने वाली नहीं मानी जायेगी :

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार, अभियोजित और दण्डित नहीं किया जायेगा।

निरसन और व्यावृत्तियां।

12. ईस्ट पंजाब आर्मडबैन्ड (अरैस्ट एण्ड डिटैन्शन) ऐक्ट, 1947 (1947 का 11) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

परन्तु उक्त अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (दिए गए किसी आदेश, जारी की गई अधिसूचना या निदेश, स्थापित निरोध शिविर, या प्रारम्भ या जारी की गई किन्हीं कार्यवाहियों, सहित) इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश सशस्त्र दल (गिरफ्तारी और निरोध) अधिनियम, 1969 के अधीन अधिसूचनाएं और नियम।

अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख

गृह-विभाग

शिमला-2, 8 जून, 1972

सं0 1-11/68-गृह.—हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सशस्त्र दल (गिरफ्तारी और निरोध) अधिनियम, 1969 की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि यह अधिनियम सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में प्रथम जुलाई, 1972 से प्रवृत्त होगा।

(राजपत्र, हिमाचल प्रदेश असाधारण) तारीख 12 जून, 1972 पृष्ठ 543)

शिमला-2, 24 अक्तूबर, 1986

सं0 डी0एल0आर0-7/86.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश बैकवर्ड क्लासिज (ग्रांट आफ लोन) ऐक्ट, 1969 (1970 का 6) के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं । यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा और भविष्य में यदि उक्त अधिनियम मे कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो यह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा ।

हिमाचल प्रदेश पिछड़े वर्ग (ऋण अनुदान) अधिनियम, 1969

(1970 का 6)

(को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश (राज्य) में पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों को ऋण सुविधाओं के विस्तार का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पिछड़े वर्ग (ऋण अनुदान) अधिनियम, 1969 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश (राज्य) पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "पिछड़े वर्ग" मे संविधान के अनुच्छेद क्रमश: 341 और 342 के अधीन हिमाचल प्रदेश के संबन्ध में इस रूप में घोषित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन-जातियां अभिप्रेत हैं और इस के अन्तर्गत सभी ऐसे व्यक्ति हैं जिन में से प्रत्येक की विहित रीति मे गणित वार्षिक आय दो हजार रुपये से अधिक है ।

(ख) "उधार लेने वाला" मे पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के अधीन ऋण अनुदत्त किया गया है।

(ग) "नियन्त्रक" प्राधिकारी से सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन ऋण अनुदत्त करने और ऐसे कदम उठाने के लिए सक्षम है जो इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए आवश्यक है;

(घ) X X X X X

(ङ) "ऋण" से इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा अनुदत्त ब्याज मुक्त ऋण अभिप्रेत है;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

ऋणा-सीमा

3. ऋण की राशि, जो किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त की जा सकेगी, दो हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया।

4. (1) पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित कोई व्यक्ति नियंत्रक प्राधिकारी को शपथ-पत्र द्वारा समर्थित, विहित प्ररूप में, उस के द्वारा वांछित ऋण की राशि, जिस प्रयोजन या जिन प्रयोजनों के लिए वह वांछित है और वह प्रस्तावित रीति जिसमें ऋण का प्रतिसंदाय, यदि उसे अनुदत्त किया जाता है, वर्णित करते हुए आवेदन कर सकेगा।

(2) नियन्त्रक प्राधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित व्यक्ति है, आवेदन में वर्णित राशि की सीमा तक या उससे कम राशि का ऋण, प्रत्येक मामले में दो हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए मंजूर कर सकेगा।

ऋण के प्रतिसंदाय के लिए प्रतिभूमि।

5. (1) जब धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन ऋण मंजूर किया जाता है, तो आवेदक विहित प्ररूप में--

(क) ऋण की राशि को उस प्रयोजन या प्रयोजनों में उपयोग करने का, जिसके लिए यह मंजूर किया गया है, वचन देते हुए;

(ख) उन शर्तों को पूरा करने जिन पर ऋण मंजूर किया गया है, वचन देते हुए; और

(ग) इस बात से सहमत होते हुए कि ऋण की रकम विहित रीति में वसूलीय होगी, यदि इसका प्रयोग ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है या ऐसी शर्तों का कोई भंग किया जाता है;

बंधपत्र निष्पादित करेगा।

(2) आवेदक, इस प्रकार मंजूर किए गए ऋण के लिए एक प्रतिभू प्रस्तुत करेगा और स्वयं आवेदक और उसकी तथा प्रतिभू की सम्पत्ति भी, ऋण और खर्च के, यदि कोई ऋण अनुदत्त करने या वसूल करने के लिए उपगत किया गया हो, प्रतिसंदाय के दायित्वाधीन होंगे :

परन्तु नियन्त्रक प्राधिकारी, किसी भी मामले में लेख बद्ध किए जाने वाले कारणों से, किसी आवेदक को प्रतिभू प्रस्तुत करने से छूट दे सकेगा।

ऋणों के प्रतिसंदाय की रीति।

6. ऋणी द्वारा ऋण बीस अर्धवार्षिक समान किस्तों में प्रतिसंदाय होगा :

परन्तु किस्तों का प्रतिसंदाय ऋण के संदाय की तारीख से चार वर्ष के अवसान से पूर्व प्रारम्भ नहीं होगा।

निरीक्षण और सूचना देना।

7. (क) उधार लेने वाला उसे मंजूर किए गए ऋण की सहायता से क्रय किए गए या भाड़े पर लिए गए परिसर, भवनों, मशीनरी और स्टोफ के निरीक्षण के सम्बन्ध में, नियन्त्रक प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के अनुपालन के लिए; और

(ख) उस प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए जिनके लिए कि ऋण अनुदत्त किया गया था, या उस रीति के सम्बन्ध में, जिसमें ऋण का उपयोजन किया जाता रहा है या किया जा रहा है, नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना देने के लिए;

आबद्ध होगा।

उधार लेने वाले द्वारा धारा 7 के उपबन्धों के अनुपालन में असफल रहने का परिणाम।

8. यदि कोई उधार लेने वाला, युक्तियुक्त हेतुक के बिना किसी आदेश का अनुपालन करने में या धारा 7 द्वारा यथा अपेक्षित कोई सूचना देने में असफल रहता है, या यदि नियन्त्रक प्राधिकारी का धारा 7 में उपबन्धित निरीक्षण के पश्चात् या अन्यथा समाधान हो जाता है कि उधार दिए गए धन का उस प्रयोजन या उन प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है जिनके लिए यह उधार दिया गया था या कोई शर्त जिसपर यह दिया गया था सम्यक् रूप से पूरी नहीं की जा रही है, तो नियन्त्रक प्राधिकारी, उधार लेने वाले द्वारा निष्पादित बंधपत्र में किसी बात के होते हुए भी, घोषणा कर सकेगा कि ऋण तुरन्त वसूलीय होगा और ऐसी घोषणा का नोटिस उधार लेने वाले को देगा।

अपील

9. धारा 8 के अधीन नोटिस की प्राप्ति से छः सप्ताह के भीतर उधार लेने वाला नियन्त्रक प्राधिकारी की उस धारा के अधीन घोषणा के विरुद्ध सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

वसूली की पद्धति।

10. (1) जब ऋण या उसकी कोई किस्त देय हो जाती है और देय तारीख को या उससे पूर्व संदत्त नहीं की जाती है, या जब धारा 8 के अधीन ऋण को तुरन्त वसूलीय घोषित कर दिया गया है, तो धारा 9 के अधीन अपील पर दिए गए आदेश के अधीन रहते हुए नियन्त्रक प्राधिकारी, ऐसे समय के भीतर और ऐसे अधिकारी को जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, उससे देय राशि को संदत्त करने की अपेक्षा करते हुए, ऋणी पर नोटिस की तामील करवा सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस के अनुपालन करने में व्यतिक्रम की दशा में सरकार द्वारा उपगत खर्च सहित, यदि कोई उपगत किया गया हो, नोटिस में विनिर्दिष्ट राशियां भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायेंगी।

सरकार का विनिश्चय अन्तिम होना।

11. सरकार का यह विनिश्चय कि क्या, इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों में या उनके अधीन अधिकथित शर्तें पूरी की गई हैं, अन्तिम होगा, और उसके अधीन पारित किसी आदेश को अपास्त करने या उपान्तरित करने के लिए किसी भी सिविल न्यायालय में वाद नहीं लाया जायेगा न ही उसे किसी विधिक न्यायालय द्वारा किन्हीं भी कार्यवाहियों में, चाहे जो भी हों, प्रश्नगत किया जायेगा।

विधिक कार्यवाहियां।

12. सरकार या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध जिसमें इस अधिनियम के अधीन शक्तियां निहित की गई हैं, उसके अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं लायी जायेगी ।

नियम बनाने की शक्ति।

13. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम से संगत, इसके सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों को विनियमित या अवधारित करते हुए नियम बना सकेगी, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के अधीन ऋण अनुदत्त के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की सकल वार्षिक आय की गणना करने की रीति ;

(ख) ऋणों के सम्बन्ध में दिए जाने वाले आवेदनों के प्ररूप और निष्पादित किए जाने वाले विलेख;

(ग) वह पद्धति जिसमें ऋणों का संदाय किया जायेगा;
(घ) नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा दिए जाने वाले नोटिसों या की जाने वाली घोषणाओं के प्ररूप; और
(ङ) प्रयोजन जिन के लिए इस अधिनियम के अधीन ऋण मंजूर किए जा सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हों, कुल मिला कर कम से कम चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र में जिसमें कि इस प्रकार रखा गया हो या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह, यथास्थित, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जायेगा, किन्तु नियम के ऐसे उपांतरण या बातिलिकरण से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 द्वारा, संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब वैकवर्ड क्लासिज (ग्रांट आफ लोन) ऐक्ट, 1957 (1957 का 17) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है : निरसन और व्यावृति।

परन्तु ऐसे निरसन का:—
(क) उपर्युक्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई किसी बात;
(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या उत्तरदायित्व;
(ग) उपर्युक्त अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड; या
(घ) ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता उत्तरदायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार; पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थिति किया, जारी रखा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो कि उपर्युक्त अधिनियम का निरसन नहीं किया गया है।

(2) उप-धारा (1) द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन अनुदत्त कोई ऋण इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त समझा जायेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय ऐसे ऋण की राशि इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन वसूल की जायेगी।

शिमला-2, 24 अक्तूबर, 1986

सं0 डी0एल0आर0-8/86.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन ऐक्ट,

1968 (1968 का 14)" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं । यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा और भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा ।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 (1968 का 14)

(1 सितम्बर, 1986 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 है ।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन स्थापित स्कूल शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "उप-विधि" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाई गई उप-विधि, अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से बोड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "निदेशक " से शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ङ) X X X X X X

(च) "संस्था अध्यक्ष" से बोड द्वारा मान्यता प्राप्त माध्यमिक या उच्च विद्यालय का मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका या उच्चतर विद्यालय का प्रधानाचार्य अभिप्रेत है;

(छ) "निरीक्षण अधिकारी" से जिला शिक्षा अधिकारी, उप-शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, या हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के निरीक्षण के लिए नियुक्त कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) "संस्था" से स्कूली शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था अभिप्रेत है ;

(झ) "स्थानीय निकाय" से नगरपालिकाएं, पंचायत समितियों, जिला परिषद्, लघु नगर समितियां या अधिसूचित क्षेत्र समितियां अभिप्रेत है;

(ट) "राजपत्र" से राजपत्र हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "प्रधानाचार्य, "से महाविद्यालय, उच्चतर माध्यमिक स्कूल जूनियर बेसिक प्रशिक्षण स्कूल का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ण) "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम, अभिप्रेत हैं;

(त) संस्था के संदर्भ में इसके व्याकरणिक रूपभेदों सहित प्रयुक्त "मान्यता प्राप्त" से बोर्ड द्वारा, बोर्ड के विशेषाधिकार देने के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त अभिप्रेत है;

(थ) "स्कूली शिक्षा" से पहली कक्षा से ग्यारहवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है, अर्थात् भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की प्रथम डिग्री में प्रवेश के लिए शिक्षा स्तर से ठीक पूर्व की समस्त शिक्षा;

(द) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है; और

(ध) "उपाध्यक्ष" से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

बोर्ड का निगमन।

3. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, हिमाचल प्रदेश के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना करेगी।

(2) बोर्ड, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम से निगमित निकाय होगा और इसके शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और इसे स्थावर और जंगम, दोनो प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारण करने और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस द्वारा धारित किसी संपत्ति को अवतरित करने और संविदा करने तथा इसके गठन के लिए आवश्यक अन्य सभी बातों को करने की शक्ति होगी और यह इसके निगमित नाम से वाद ला सकेगा और इसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

बोर्ड का गठन

4. बोर्ड अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा:—

(1) पदेन सदस्य :

(क) सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार या उसका प्रतिनिधि;

(ख) सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार या उसका प्रतिनिधि;

(ग) कुल-सचिव, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय।

(घ) शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश;

(ङ) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश:

(च) निदेशक एवं प्रधानाचार्य, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश ;

(छ) निदेशक तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश;

(2) निर्वाचित सदस्य:

(ज) हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित तीन सदस्य;

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्य जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे।

(झ) हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग का एक निरीक्षण अधिकारी;

(ञ) हिमाचल प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रधानाचार्य;

(ट) हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट तौर पर प्रबंधित स्कूलों की प्रबंध समितियों का एक प्रतिनिधि;

(ठ) उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के तीन अध्यक्ष, सरकारी, गैर-सरकारी और उच्च और उच्चतर माध्यमिक कन्या स्कूलों, प्रत्येक में से एक-एक;

(ड) एक सदस्य ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जिनको अन्यथा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(4) सहयोजित सदस्य :

(ढ) बोर्ड द्वारा, अपनी स्कूली शिक्षा की विशेषज्ञ और व्यापक जानकारी के लिए, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरुस्कार विजेता अध्यापकों में से और उन के उपलभ्य न होने पर, राज्य पुरुस्कार विजेता शिक्षकों में से, सहयोजित एक सदस्य ।

(ण) यदि विधान सभा उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन अपेक्षित, बोर्ड के लिए किसी सदस्य को विहित समय के भीतर निर्वाचित करने में असफल रहती है, तो सरकार विधान सभा के किसी सदस्य को ऐसे सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगी ।

बोर्ड का मुख्यालय ।

5. बोर्ड का मुख्यालय, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाने वाले स्थान पर होगा ।

सदस्यों की पदावधि और आकस्मिक रिक्तियों का भरना ।

6. (1) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की पदावधि साधारणतया तीन वर्ष होगी ।

(2) यदि कोई निर्वाचित सदस्य किसी कारण विधान सभा का सदस्य नहीं रह जाता है जिससे उसे निर्वाचित किया गया था, वह सदस्य नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जायेगा ।

(3) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पदावरोही सदस्य, जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देशित न करे, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके उत्तरवर्ती का निर्वाचन, नामनिर्देशन या सहयोजन राजपत्र में अधिसूचित नहीं कर दिया जाता ।

(4) यदि सरकार का यह विचार हो कि नामनिर्दिष्ट सदस्य का पद पर बने रहना बोर्ड के हित में नहीं है, तो सरकार उसका नामनिर्देशन समाप्त करने का आदेश कर सकेगी और उस पर इस बात के होते हुए भी कि उस पदावधि का पर्यवसान नहीं हुआ है जिसके लिए उसको नामनिर्दिष्ट किया गया था, वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा ।

(5) बोर्ड का कोई सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा ।

(6) मृत्यु, पद त्याग या सदस्य के नामनिर्देशन की समाप्ति के कारण या अन्य किसी कारण वश होने वाली रिक्ति की दशा में, ऐसी रिक्ति यथास्थिति, निर्वाचन, नामनिर्देशन या सहयोजन द्वारा भरी जायेगी और ऐसी रिक्ति को भरने के लिए, इस प्रकार निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट या सहयोजित कोई व्यक्ति उस अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए यह, उस व्यक्ति द्वारा, जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार निर्वाचित नामनिर्दिष्ट या सहयोजित किया गया है, धारित किया जाता, न कि उससे अधिक समय के लिए ।

(7) पदावरोही सदस्य, यदि अन्यथा अर्हित हो, तो पुनः निर्वाचन, पुनः नामनिर्देशन या पुनः सहयोजन का पात्र होगा ।

(8) प्रत्येक निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट या सहयोजित व्यक्ति का नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा ।

7. बोर्ड की बैठक में जब तक कम से कम नौ सदस्य उपस्थित न हों, कोई कामकाज संव्यवहृत नहीं किया जाएगा। गणपूर्ति।

8. धारा 7 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड या उसकी समिति का कार्य या कार्यवाही केवल इसके सदस्यों में विद्यमान रिक्ति के कारण या इसके गठन में त्रुटि या प्रक्रिया में मामले के गुणागुण पर प्रभाव न डालने वाली अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी। कार्यवाहियों का रिक्तियों और अनियमितताओं के कारण अविधिमान्य न होना।

9. कोई भी सदस्य, किसी ऐसे मामले पर विचार-विमर्श में भाग नहीं लेगा अथवा अपना मत नहीं डालेगा जिसमें कि उसका कोई व्यक्तिगत या आर्थिक हित हो। विचार-विमर्श में भाग लेने से विवर्जित सदस्य।

10. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड — बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

(1) हिमाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा के लिए प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम विहित करेगा;

(2) ऐसे पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षाओं का संचालन करेगा;

(3) अपनी परीक्षाओं में ऐसी शर्तों पर, जो विहित की जाएं, उन अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा जो निम्नलिखित रूप में विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं :—

(i) मान्यता प्राप्त संस्थाओं में; और

(ii) प्राईवेट तौर पर;

(4) ऐसी परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करना ;

(5) उन व्यक्तियों को, जिन्होंने बोर्ड की परीक्षाएं पास की हैं, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र अनुदत्त करना ;

(6) अपने डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिए, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विहित करना;

(7) उन स्कूलों और अन्य संस्थाओं को जो बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को भेजती हैं, मान्यता प्रदान करने के लिए, अध्यापकों और उनकी अर्हताओं, पाठ्यक्रम उपस्कर, भवनों और अन्य शिक्षा सुविधाओं के निबंधनों के अनुसार, शर्तें विहित करना ;

(8) ऐसी फीस की मांग करना और उसे प्राप्त करना जो विहित की जाएं ;

(9) अन्य प्राधिकरणों से ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार करना जो बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं ;

(10) सरकार के समक्ष इससे सम्बद्ध किसी मामले पर, बोर्ड के विचारों को प्रस्तुत करना ;

(11) मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाली संस्था की परिस्थिति के बारे में निदेशक से रिपोर्ट मंगवाना और ऐसी संस्था के निरीक्षण के लिए निदेश देना ;

(12) पाठ्य पुस्तक मान्यता समिति द्वारा, बोर्ड द्वारा, प्रकाशन के लिए अभिशंसित पाठ्य पुस्तकों और अध्ययन की अन्य पुस्तकों के प्रकाशन का प्रबन्ध करना ;

(13) मान्यता प्राप्त संस्थाओं में विद्यार्थियों के शारिरिक, भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, उपायों को अपनाना और उनके निवास और अनुशासन की शर्तें विहित करना ;

(14) व्याख्यानों, प्रदर्शनों और शिक्षा प्रदर्शनियों, अध्ययन गोष्ठियों और विचार गोष्ठियों का आयोजन और व्यवस्था करना और ऐसे अन्य उपाय करना जो हिमाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवताकोटी को उन्नत करने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हों ;

(15) जो शर्तें विहित की जाए, उनके अधीन छात्रवृतियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना ;

(16) विभागीय परीक्षाओं को संचालित करना ;

(17) स्कूल पाठ्यक्रम के आधुनिकी करण, विज्ञान और गणित, शिक्षा को सुदृढ़ बनाने, कार्य अनुभव और व्यवसायीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाएगा ;

(18) ऊपर विनिर्दिष्ट किन्हीं प्रयोजनों या इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यन्वित करने के प्रयोजन से आनुषांगिक सभी कृत्यों और कार्रवाइयों को करेगा।

सरकार की शक्तियां।

11. (1) सरकार को, बोर्ड द्वारा संचालित या की गई किसी बात के संदर्भ में, बोर्ड को सम्बोधित करने और बोर्ड से सम्बद्ध किसी मामले में अपने विचार संसूचित करने का अधिकारी होगा।

(2) बोर्ड, सरकार को ऐसी कार्रवाई की, यदि कोई हो, जिसे उप-धारा (1) के अधीन प्राप्त संसूचना पर इस द्वारा करने का प्रस्ताव हो या की गई हो, रिपोर्ट भेजेगा और यदि यह कार्रवाई करने में असफल रहता है, तो स्पष्टीकरण देगा।

(3) यदि बोर्ड उस मामले के सम्बन्ध में जिस पर उप-धारा (1) के अधीन संसूचना प्राप्त हुई है, सरकार के समाधान के अनुसार युक्तियुक्त समय के भीतर कार्रवाई नहीं करता है, तो सरकार बोर्ड द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् इस अधिनियम से संगत निदेश जारी कर सकेगी यह उचित समझें और बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(4) किसी आपात् स्थिति में, जिसमें सरकार की राय में तुरन्त कार्रवाई करना अपेक्षित हो, सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसी कार्रवाई जो यह आवश्यक समझें, बोर्ड के पूर्व परामर्श के बिना कर सकेगी और बोर्ड को तत्काल उसके बारे में सूचित करेगी।

(5) सरकार, लिखित आदेश द्वारा उसके कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए, बोर्ड के किसी संकल्प या आदेश को निलम्बित कर सकेगी और बोर्ड द्वारा किए जाने के लिए आदेशित या आदेशित किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के करने को प्रतिषेध कर सकेगी यदि सरकार की यह राय हो कि ऐसा संकल्प, आदेश या कार्य, बोर्ड को इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के बाहर है।

(6) जब कभी सरकार द्वारा उप-धाराओं (3) (4) या (5) के अधीन कोई कार्रवाई की जाए तो उसकी रिपोर्ट उसके कारणों को वर्णित करते हुए यथा सम्भव सर्वप्रथम अवसर पर विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी।

बोर्ड की निधि का गठन।

12. एक बोर्ड निधि का गठन किया जाएगा और इस अधिनियम के अधीन या अन्यथा बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राशियां उसके खाते में रखी जाएंगीं।

बोर्ड निधि की अभिरक्षा और विनिधान।

13. (1) प्रतिदिन खर्च के लिए अपेक्षित धन के अलावा, बोर्ड निधि में जमा सारा धन किसी अनुसूचित बैंक के चालू या बचत बैंक खाते में रखा जाएगा :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात, बोर्ड को, ऐसे धन का जो तुरन्त व्यय के लिए अपेक्षित नहीं है किन्हीं सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(2) बैंक में बोर्ड के लेखा बोर्ड के सचिव या बोर्ड द्वारा विहित अधिकारी द्वारा प्रचालित किए जा सकेंगे।

बोर्ड निधि का उपयोजन।

14. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड निधि का उपयोजन निम्नलिखित के लिए किया जाएगा :—

(I) केवल इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अनेक मामलों से आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों के संदाय के लिए, और

(II) किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन, बोर्ड को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं या कर्त्तव्य अधिरोपित किए गए हैं।

(2) शुद्ध वार्षिक बचत हिमाचल प्रदेश में अनन्य रूप से स्कूल शिक्षा विकास के लिए सरकार के व्ययन पर रखी जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट और बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा।

15. (1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में इसके क्रियाकलाप का सही और पूरा वृतांत देते हुए, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(2) बोर्ड, ऐसी लेखा बहियां और इसके लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसी अन्य बहियां रखवाएगा और अपने वार्षिक लेखों को बन्द करने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में लेखों की विवरणी तैयार करेगा जैसे कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें।

(3) बोर्ड के लेखाओं की प्रतिवर्ष ऐसे अभिकरण द्वारा संपरीक्षा की जाएगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(4) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट और उप-धारा (2) के अधीन तैयार की गई संपरीक्षा रिपोर्ट, बोर्ड द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के ठीक पश्चात्, राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और राज्य सरकार, इन रिपोर्टों के बोर्ड द्वारा इसे दिए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, परन्तु उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् जिससे ये रिपोर्ट सम्बन्धित है नौ मास के भीतर ऐसी रिपोर्टों को राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

संविदाएं।

16. बोर्ड की सभी संविदाएं और सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्र सचिव द्वारा बोर्ड की ओर से, हस्ताक्षरित किए जाएंगे या ऐसी रीति में होंगे जो विहित की जाए, और, यदि ऐसे हस्ताक्षरित हों, तो बोर्ड पर आबद्धकर होंगे ;

बोर्ड के अधिकारी।

17. इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(1) अध्यक्षा;
(2) उपाध्यक्ष;
(3) बोर्ड का सचिव, और
(4) ऐसे अन्य अधिकारी जो विनियमों द्वारा बोर्ड के अधिकारी घोषित किए जाएं।

अध्यक्ष।

18. (1) सरकार, सुप्रसिद्ध शिक्षाविदों या प्रशासकों में से एक व्यक्ति को ऐसे निबन्धों और शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए जो सरकार द्वारा विहित की जाए, बोर्ड का अध्यक्ष नामनिर्देशित/नियुक्ति करेगी।

(2) यदि अध्यक्ष (क) जानबूझकर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या करने से इन्कार करता है, (ख) उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, (ग) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि अध्यक्ष का पद पर बने रहना बोर्ड के हितों के लिए अहितकर है, तो सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष को हटा सकेगी।

अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य।

19. (1) अध्यक्ष, बोर्ड का प्रशासनिक अध्यक्ष होगा, और इस अधिनियम और विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करना अध्यक्ष का कर्त्तव्य होगा और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियां उसे प्राप्त होंगी।

(2) अध्यक्ष किसी भी समय और विहित अन्तराल पर या बोर्ड के कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या से अन्युन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर बोर्ड के समक्ष लाए जाने वाले काम काज का वर्णन करते हुए, विहित रीति से बोर्ड की बैठक बुलाएगा ।

(3) बोर्ड के प्रशासनिक कार्य से उद्भूत किसी आपात में, जिसमें अध्यक्ष की राय में तुरन्त कार्रवाई करना अपेक्षित हो, तो अध्यक्ष ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझें और उसके पश्चात् अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट बोर्ड की आगामी बैठक में देगा ।

(4) अध्यक्ष, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें कि वह उपस्थित हो ।

(5) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विनिहित की जाएं ।

उपाध्यक्ष

20. शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश बोर्ड का पदेन उपाध्यक्ष होगा ।

उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य ।

21. उपाध्यक्ष प्रशासनिक और शैक्षणिक सभी मामलों में अध्यक्ष की सहायता करेगा, ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं, और पश्चात् कथित की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

सचिव की नियुक्ति शक्तियां और कर्तव्य ।

22. (1) सचिव सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए, नियुक्त किया जाएगा जो सरकार उचित समझे ।

(2) सचिव, बोर्ड के नियन्त्रण में रहते हुए, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा ;

(3) बोर्ड की सभी बैठकें, विनियमों में उपबन्धित रीति से, सचिव के माध्यम से बुलाई जाएगी ।

(4) सचिव यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि सभी धन उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाए जिनके लिए यह अनुदत्त या आबंटित किया जाता है ।

(5) सचिव, बोर्ड की सभी बैठकों का कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(6) सचिव बोर्ड की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और बोलने का हकदार होगा, किन्तु उसमें मतदान करने का हकदार नहीं होगा ।

(7) सचिव, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियमों में अधिकथित की जाएं ।

बोर्ड के अन्य अधिकारी और कर्मचारी

23. (1) सरकार, बोर्ड के उप-सचिव और उसके इतने सहायक सचिव ऐसी शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगी, जैसे कि वह उचित समझें ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो विहित की जाएं ।

(3) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जो यह अपने कृत्यों के कुशल सम्पादन के लिए आवश्यक समझे ।

(4) उप-सचिव, सहायक सचिव और सचिव के अलावा बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की अर्हताएं, सेवा की शर्तें और वेतनमान विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएंगे ।

समितियों की नियुक्ति और गठन ।

24. (1) बोर्ड निम्नलिखित समितियों की नियुक्ति करेगा, अर्थात्:—

(क) कायपालिका समिति ;

(ख) वित्त समिति ;

(ग) परीक्षा समिति ;

(घ) पाठ्यक्रम समिति ;

(ङ) पाठ्यक्रम पुस्तक मान्यता समिति ;
(च) ऐसी अन्य समितियां जो विहित की जाएं।

(2) प्रत्येक ऐसी समिति, बोर्ड के ऐसे सदस्यों और अन्य ऐसे व्यक्तियों, यदि कोई हो, से मिलकर बनेगी जो बोर्ड उचित समझे।

(3) प्रत्येक ऐसी समिति, बोर्ड के सदस्यों में से, इसके लिए नियुक्त सदस्यों की एक तिहाई संख्या तक व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगी।

(4) सहयोजित सदस्यों के अलावा सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाए।

(5) सहयोजित सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

बोर्ड द्वारा समितियों को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग।

25. इस अधिनियम द्वारा इसे प्रदत्त शक्तियों के, जो बोर्ड द्वारा धारा 24 के अधीन नियुक्त किसी समिति को प्रत्यायोजित कर दी गई है, बोर्ड द्वारा प्रयोग के सभी मामले उस समिति को निदेशित हो जाएंगे और बोर्ड ऐसी किन्हीं शक्तियों के प्रयोग से पूर्व प्रश्नगत मामले के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा :

परन्तु जहां बोर्ड की राय में ऐसे किसी मामले पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो तो यह उसके सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट के बिना कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे यह आवश्यक समझे।

बोर्ड की विनियम बनाने की शक्तियां।

26. बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों का उपबन्ध करने के लिए विनियम बना सकेगा, अर्थात् :–

(क) बोर्ड की प्रक्रिया;
(ख) धारा 24 के अधीन नियुक्त समितियों का गठन, शक्तियां और कर्त्तव्य ;
(ग) डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र प्रदान करना ;
(घ) सभी डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम अधिकथित करना ;
(ङ) बोर्ड के विशेषाधिकार देने के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की शर्तें और स्कूलों का दक्षतापूर्ण और समरूप न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा संहिता की विरचना ;
(च) वे शर्तें जिनके अधीन अभ्यर्थियों को बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के पात्र होंगे ;
(छ) परीक्षाओं का संचालन ;
(ज) बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए फीस ;
(झ) बोर्ड के अधिकारियों, लिपिकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तें ;
(ञ) परीक्षकों की नियुक्ति और बोर्ड की परीक्षा के सम्बन्ध में उनके कर्त्तव्य और शक्तियां;
(ट) बोर्ड द्वारा नियोजित अधिकारियों, लिपिकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए भविष्य-निधि का गठन;
(ठ) बोर्ड के कर्मचारियों के लिए सेवा, आचरण और अनुशासन नियमों की विरचना;
(ड) बोर्ड के वित्त का हर प्रकार से नियन्त्रण, प्रशासन, सुरक्षित अभिरक्षा और प्रबन्ध।

(ढ़) बोर्ड के लिए सदस्यों का निर्वाचन या नाम निर्देशन ;
(ण) छात्रवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना ;
(त) बोर्ड और इसकी समितियों के सदस्यों की उपलब्धियां और भत्ते ; और
(द) सभी मामले जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाने हैं या विहित किए जा सकेंगे या जिनके लिए विनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना है ।

बोर्ड के प्रथम विनियम ।

27. (1) प्रथम विनियम सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और वे बोर्ड द्वारा बनाए गए समझे जाएंगे और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक बोर्ड द्वारा परिवर्तित या उपान्तरित नहीं किए जाते ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन बनाए गए विनियम तब तक प्रवृत्त नहीं होंगे जब तक वे राजपत्र में प्रकाशित नहीं कर दिए जाते ।

विनियमों की प्रतियां और उनमें परिवर्तन ।

28. बोर्ड द्वारा धारा 26 के अधीन बनाए गए प्रत्येक विनियम और प्रत्येक उपान्तरण या उसके निरसन या बोर्ड के धारा 27 के अधीन बनाए गए या बनाए गए समझे गए प्रत्येक प्रथम विनियम की एक प्रति बिना असम्यक् विलम्ब के सरकार की जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

बोर्ड आदि की उप-विधि बनाने की शक्तियां ।

29. (1) बोर्ड और इस द्वारा नियुक्त समितियां इस अधिनियम और विनियमों से संगत निम्नलिखित के लिए उप-विधियां बना सकेंगी ।

(क) बैठकों में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करते हुए; और
(ख) केवल बोर्ड और इस द्वारा नियुक्त समितियों से सम्बन्धित अन्य सभी मामलों के लिए उपबन्ध करते हुए जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा या विनियमों द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है ।

(2) बोर्ड और इस द्वारा नियुक्त समितियां अपने सदस्यों को बैठकों की तारीखों और बैठकों में विचार किए जाने वाले काम-काज के लिए नोटिस देने और बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने के लिए उपबन्ध बनाने के लिए उप-विधियां बनाएंगी ।

(3) बोर्ड, इस द्वारा नियुक्त समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनाई गई किसी उप-विधि के संशोधन या निरसन के लिए निर्देश दे सकेगा और ऐसी समिति निर्देश को कार्यान्वित करेगी ।

अधिनियम के प्रारम्भ में अनुवर्ती परिणाम ।

30. धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना में बोर्ड की स्थापना के लिए विनिर्दिष्ट तारीख से निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावशील होंगे; अर्थात् :—

(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ के विशेषाधिकार प्राप्त करने वाली और हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी शिक्षा संस्थाओं को ऐसी शिक्षा के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से बोर्ड के विशेषाधिकार प्राप्त किए गए समझे जाएंगे और बोर्ड, जहां तक सम्भव हो और इस अधिनियम से संगत, ऐसी सभी संस्थाओं को, माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में, ऐसे सभी विशेषाधिकार देगा, जो उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ से उक्त तारीख से पूर्व प्राप्त थे ; और

(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, ऐसी अवधि के लिए, और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, हिमाचल प्रदेश में स्थित पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ के विशेषाधिकार प्राप्त

करने वाली संस्थाओं के विद्यार्थियों, जो इस अधिनियम की तारीख से पूर्व अध्ययन कर रहे थे या उक्त विश्वविद्यालय की माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं के लिए पात्र थे, की शिक्षा, अध्ययन और शिक्षण के लिए और ऐसे तथा अन्य विद्यार्थियों की परीक्षाओं के लिए, उक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार, उपबन्ध करेगा ।

कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति ।

31. यदि बोर्ड के प्रथम गठन या अन्यथा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो सरकार, अवसर की अपेक्षा के अनुसार, आदेश द्वारा, कठिनाई के निराकरण के लिए ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो उस प्रयोजन के लिए इसे आवश्यक प्रतीत हो ।

मैं "दि हिमाचल प्रदेश बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन ऐक्ट, 1968" के, राजभाषा पाठ को हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता हूं और यह उक्त अधिनियम का राजभाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने "दि हिमाचल प्रदेश बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन ऐक्ट, 1968" के उपर्युक्त राजभाषा पाठ को हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है और यह उक्त अधिनियम का राजभाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।